न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी :भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 244/2022

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. भोपालसिंह पुत्र जवाहरसिंह 2. हरीसिंह पुत्र जवाहरसिंह 3. जबरसिंह पुत्र जवाहरसिंह जातियान–राजपुरोहित, निवासी– खेतेश्वर कॉलोनी, बालोतरा।		1. नेमीचन्द पुत्र मूलचन्द 2. बाबूलाल पुत्र मूलचन्द 3. स्व. सुरेन्द्र कुमार पुत्र मूलचन्द के का0मु0:– 1. नितेश कुमार पुत्र सुरेन्द्र कुमार 4. मनोहरलाल पुत्र मूलचन्द 5. भंवरीदेवी पत्नी मूलचन्द 6. फतेहचन्द पुत्र मीठालाल ओसवाल निवासी–बालोतरा तहसील पचपदरा 7. चम्पलाल पुत्र केसाराम माली निवासी– उप तहसील कार्यालय के पास, बालोतरा 8. बाबूसिंह पुत्र नेमाराम राजपुरोहित निवासी– सिहों का बास, छतरियों का मोर्चा, बालोतरा 9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा, जिला बालोतरा

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 04.05.2022 जो उपखंड अधिकारी बालोतरा, जिला बालोतरा के द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 153/2021 अनवान नेमीचन्द वगैराह बनाम चम्पालाल वगैराह में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1. **श्री सुगनमल परिहार, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।**
2. **श्री जितेन्द्र चौपडा, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ता 6 की ओर से।**
3. **श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो.सं 9 की ओर से।**
4. **शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद तामीली के अनुपस्थित।**

निर्णय

दिनांक 26 फरवरी, 2024

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक ता छः एवं अन्य के द्वारा उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के समक्ष एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

बालोतरा प्रथम के खेत खसरा संख्या 811 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, ख0सं0 1634/810 रकबा 04 बीघा 11 बिस्वा कुल 06 बीघा 06 बिस्वा भूमि उनकी संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की आई हुई है। तथा उसके पश्चिम में रेस्पो0 संख्या 7 का खेत आया हुआ है। रेस्पो0 संख्या 7 के द्वारा हम रेस्पोडेन्टस के खेत की सीमाओं को खुर्दबुर्द कर सेढो को तोडकर आये दिन विवाद पैदा करते है। इस कारण से वे अपने खेत खसरान की सीमाओं का सीमाज्ञान करवाने हेतु तहसीलदार पचपचदरा को आवेदन किया जिस पर दिनांक 17.03.2020 को पटवारी हल्का द्वारा रेस्पोडेन्टस के खेत ख0सं0 1634/810 व 811 की माठो का सीमाज्ञान किया गया। रेस्पो0 संख्या 7 इसके उपरान्त भी कब्जा करने के लिये विवाद पैदा करते रहे है। इस कारण से वे अपने खेत खसरान भूमि की पुख्ता पैमाइश जरिये पत्थरगढी करवाना चाहते है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त पैमाइश/ पत्थरगढी करवाने का आदेश प्रदान करावें। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 ता 6 व अन्य के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 04.05.2022 को स्वीकार कर लिया। उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलान्टस ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित है। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी व वाक्याती भूल की है क्योंकि पत्थरगढी किये जाने बाबत पारित अपीलाधीन आदेश एक अशुद्ध नक्शे के आधार पर दिया है एवं पत्रावली पर भी कोई अविवादित पैमाइश रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय ने जिस पैमाइश रिपोर्ट का उल्लेख किया है वो अपीलार्थी की गैरमौजूदगी व गलत नक्शे के आधार पर बनाकर पेश की गई है। ऐसे में अपीलाधीन आदेश विधि अनुसार नहीं होने से निरस्त करने योग्य है। इसके अतिरिक्त स्वयं रेस्पोडेन्टस के अनुसार उनका विवादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। इन सभी परिस्थितियों में वादग्रस्त भूमि बाबत पत्थरगढी का कोई आदेश देने का औचित्य ही नहीं रहा है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि ख0सं0 426 का भाग हाल ख0सं0 810 में दिखाकर नक्शा अशुद्धि किया गया था तथा ख0सं0 426 के नये नम्बर 834 बने है जो अपीलार्थी के खातेदारी के है जिनकी नक्शे की दुरूस्ती हेतु पहले से ही एक प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है तो ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय उक्त दोनों पत्रावलियों को साथ में कर साबिका बन्दोबस्त व हाल बन्दोबस्त के नक्शे के अवलोकन पश्चात दोनों पत्रावलियों को एकसाथ निर्णित करते, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

ऐसा नहीं कर एक अशुद्ध नक्शे को आधार मानते हुए फैसला दिया है। इसके अतिरिक्त रेस्पो0 के अनुसार ख0सं0 810 के पुराने ख0सं0 419 थे जो सम्भव नहीं हो सकता और ख0सं0 419 का कोई भाग सरहद जसोल में नहीं मिलता। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी लिखित आपत्तियॉ पेश की गई थी, जिन्हे नजरअंदाज कर दिया गया, अगर दोनों बन्दोबस्त नक्शों का अवलोकन किया जाता तो अवश्य ही रेस्पोडेन्टस का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जाता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित कर एक नये विवाद को जन्म दिया है क्योकि राजस्व नक्शे में ख0सं0 810 की लोकेशन व आकृति गलत बताई गई है तो ऐसे में पत्थरगढी का आदेश न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि रेस्पोडेन्टस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में सही तथ्यों को छुपाया है एवं स्वयं द्वारा हस्तान्तरित भूमि का कोई उल्लेख प्रार्थना पत्र में नहीं किया गया है जबकि उसके द्वारा कुछ भूमि का हस्तान्तरण रेस्पोडेन्ट चम्पालाल को कर दिया था अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावें।

प्रत्युतर में रेस्पो0सं0 एक ता छः की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने यह कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक ता छः एवं अन्य के द्वारा उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के समक्ष एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर ग्राम बालोतरा प्रथम के खेत खसरा संख्या 811 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, ख0सं0 1634/810 रकबा 04 बीघा 11 बिस्वा कुल 06 बीघा 06 बिस्वा भूमि उनकी संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की आई हुई है। तथा उसके पश्चिम में रेस्पो0 संख्या 7 का खेत आया हुआ है। रेस्पो0 संख्या 7 के द्वारा हम रेस्पोडेन्टस के खेत की सीमाओं को खुर्दबुर्द कर सेढो को **तोडकर आये दिन विवाद पैदा** करते है। इस कारण से वे अपने खेत खसरान की सीमाओं का सीमाज्ञान करवाने हेतु तहसीलदार पचपचदरा को आवेदन किया जिस पर दिनांक 17.03.2020 को पटवारी हल्का द्वारा रेस्पोडेन्टस के खेत ख0सं0 1634/810 व 811 की माठो का सीमाज्ञान किया गया। रेस्पो0 संख्या 7 इसके उपरान्त भी कब्जा करने के लिये विवाद पैदा करने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पेश करते हुए अपने खातेदारी वाले खेत खसरान भूमि की पुख्ता पैमाइश जरिये पत्थरगढी करवाना हेतु निवेदन किया गया था ।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को दर्ज करते हुए वर्तमान अपीलान्टस एवं अन्य रेस्पोडेन्टस को तलब किया गया जिस पर रेस्पो0 संख्या 7 व अपीलान्टस की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए थे। जिनके द्वारा लिखित में अपनी आपत्तियॉ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गई थी जिनको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्तमान राजस्व रेकर्ड के विपरित होने से अस्वीकार कर दी और हम रेस्पोडेन्टस की ओर से पेश प्रार्थनापत्र को स्वीकार करते हुए ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधि अनुकूल उचित होने से यथावत बहाल रखा जावें।

रेस्पो0सं0 एक ता छः के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि वर्तमान अपीलान्टस के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो आपत्तियॉ पेश की गई थी, उन्हीं आपत्तियों को वर्तमान अपील में आधार बनाकर यह अपील पेश की गई है, जो खारिज की जावें। इसके अतिरिक्त अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलार्थीगण की किसी भूमि पर पत्थरगढी नहीं की जा रही है और न ही उनको किसी प्रकारसे बेदखल किया जा रहा है, न ही ऐसा कोई आदेश पारित किया है। रेस्पोडेन्टस अपनी अपनी खातेदारी की भूमि खेत ख0सं0 1634/810 व ख0सं0 811 की रकबा भूमि पर ही पैमाइश करके पत्थरगढी करवाने का अनुतोष चाहा गया है। अपीलाधीन आदेश प्राप्त करके रेस्पोडेन्टस अपने व अपीलार्थीगण के बीच माठ/सेढा की सुरक्षा हेतु पत्थरगढी करवाना चाहता है। अपीलार्थीगण अपीलाधीन आदेश से न तो पीडित है न व्यथित है। ऐसे में अपीलान्टस के द्वारा प्रस्तुत की गई अपील आधारहीन व सारहीन होने से खारिज की जावे एवं अपीलाधीन आदेश को बहाल रखा जावें।

हमने पक्षकारान अधिवक्ता द्वारा की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलाधीन आदेश इत्यादि का अवलोकन किया गया जिससें यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 6 एवं अन्य की ओर से उल्लेखित खेत खसरान भूमि की पैमाइश/पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किये जाने के उपरान्त अपीलार्थीगण की ओर से आपत्तियॉ पेश किये जाने तथा उन आपत्तियो अनुसार पुराने ख0सं0 426 व नये ख0सं0 810 की नक्शा लटटा ट्रेस बाबत हुई तरमीम को दुरूस्त किये जाने सम्बन्धी एक अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत विचाराधीन होना उल्लेखित किया है।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 6 एवं अन्य की ओर से पेश प्रार्थनापत्र पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण/अपीलान्टस की ओर से पेश आपत्तियों को वर्तमान राजस्व रेकर्ड के विपरित होने से अस्वीकार करते हुए रेस्पोडेन्टस की उपरोक्त खसरा संख्या की खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की उपस्थिति में की जाने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत अपीलान्टस की ओर से पेश प्रार्थना पत्र में ग्राम बालोतरा के ख0सं0 426 तथा ख0सं0 810 की तरमीम शुद्धि किये जाने हेतु कथन किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र वर्तमान में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन होना प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट होता है तथा वर्तमान रेस्पोडेन्टस भी प्रार्थना पत्र में पक्षकार संस्थित हो रखे है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय को पत्थरगढी/नेखमबन्दी का आदेश पारित करने से पूर्व धारा 131, 136 के प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को देखते हुए प्रथमतः उक्त प्रार्थनापत्र को विधि अनुसार निर्णित करते हुए उसके परिप्रेक्ष्य में रेस्पोडेन्टस के प्रार्थना पत्र को निर्णित करने की कार्यवाही करनी चाहिय जिससे वाद की बाहुल्यता नहीं बने। हमारी विनम्र राय में उपरोक्त ऑब्जर्वेशन को मध्यनजर रखते हुए प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रेतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

अतः उपरोक्त तथ्यों पर मनन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की यह अपील आंशिक अस्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.05.2022 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त खसरान भूमि बाबत धारा 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के लम्बित प्रार्थना पत्र को विधिवत निस्तारण करने तत्पश्चात रेस्पोडेन्टस के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम पर पक्षकारान की सुनवाई उपरान्त यथोचित निर्णय पारित करें। निर्णय आज दिनांक 26 फरवरी, 2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर